विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा की निम्नांकित विदेशी मदिरा दुकानें तृतीय चरण के व्यवस्थापन में भी निर्धारित पूर्ण राजस्व पर व्यवस्थापित नहीं हो पाई हैं, और दिनांक 25.06.2018 तक के लिए दैनिक आधार पर संचालित कराई जा रही हैं। उक्त दुकानों को दिनांक 26.06.2018 से 31.03.2019 तक के लिए निर्धारित पूर्ण राजस्व पर संचालित करने हेतु यदि कोई पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रकिया शुल्क रू0 25,000/– के बैंक ड्राफ्ट (जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा के पक्ष में देय) के साथ आवेदन करता है, तो प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के आधार पर सम्बन्धित आवेदक के पक्ष में दुकान का आवंटन कर दिया जायेगा। निर्धारित राजस्व पर दुकान संचालन हेतु कोई आवेदन प्राप्त न होने की दशा में दुकानों की शेष अवधि हेतु स्थायी व्यवस्थापन करने के उद्देश्य से दिनॉक 28.06.2018 के अपरान्ह 12:00 बजे तक शील्ड लिफाफे में ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं अधिकतम ऑफरदाता का ऑफर आबकारी आयुक्त महोदय को प्रेषित किया जायेगा आबकारी आयुक्त महोदय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार दुकान आवंटन के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

यदि उक्त दुकानों के संचालन हेतु निर्धारित राजस्व पर कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो उक्त दुकानों को दिनांक 26.06.2018 से 28.06.2018 तक के लिए दैनिक आधार पर संचालित करने हेतु इच्छुक आवेदकों से बन्द लिफाफे में आफर दिनांक 26.06.2018 की अपरान्ह 12:00 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा के कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं, जो उसी दिन अपरान्ह 12:30 बजे जिला स्तरीय आवंटन समिति के समक्ष खोले जायेंगे। सम्बन्धित विदेशी मदिरा दुकानों का विवरण निम्नवत् है:–

क0सं0	दुकान का नाम	दुकान का प्रकार	दुकान हेतु निर्धारित राजस्व रू0 में
01	मनोली	विदेशी मदिरा	रू0 1,32,59,850/–
02	मरचूला	विदेशी मदिरा	रू0 2,09,54,325/–
03	जैंती	विदेशी मदिरा	रू0 1,54,50,630/–
04	धौलछीना	विदेशी मदिरा	रू0 1,76,29,483/–
05	भैंसियाछाना	विदेशी मदिरा	रू0 1,65,55,000/–

उपरोक्त विदेशी मदिरा दुकानों के लिए दैनिक आधार पर सर्वाधिक राजस्व/निगोशियेशन उपरांत सर्वाधिक राजस्व का ऑफर करने वाले आवेदक के पक्ष में जिला अधिकारी महोदय द्वारा मदिरा दुकान का आवंटन किया जायेगा। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक से प्राप्त की जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी,
अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या 179 /पॉच–आब0/व्यव0/2018–19/दिनांक:जून 25, 2018

प्रतिलिपि –

1 आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2 जिला अधिकारी, अल्मोड़ा को अवलोकनार्थ प्रेषित।

3 जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद अल्मोडा की वेबसाईट almora.nic.in पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ अपलोड करने का कष्ट करें

4 सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को दिनांक 26.06.2018 को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र मे शासकीय दर पर न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।निर्धारित तिथि के उपरान्त विज्ञापन के प्रकाशन की स्थिति में बिल का भुगतान करना संभव नहीं होगा

जिला आबकारी अधिकारी,
अल्मोड़ा।